जनसत्ता

30 अक्तूबर, 2019

आतंक की चुनौती

कश्मीर में बढ़ती आतंकी हिंसा की जो खबरें आ रही हैं, वे चिंताजनक हैं। पूरी कश्मीर घाटी में सेना, सुरक्षा बलों और पुलिस की भारी तैनाती, अनवरत निगरानी के बावजूद आतंकी जिस तरह से वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि आतंकियों का नेटवर्क अभी भी कमजोर नहीं पड़ा है और वे अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। सोमवार को सोपोर में आतंकियों ने बस अड्डे पर हथगोला फेंक कर हमला किया। इस घटना में बीस लोग घायल हो गए। इससे ठीक तीन दिन पहले श्रीनगर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के दल पर आतंकी हमले में छह जवान जख्मी हो गए थे। तीन दिनों में लगातार दो हमले बता रहे हैं कि आतंकियों का दुस्साहस कम नहीं हो पाया है और वे जगह-जगह बमों से हमले कर लोगों में दहशत फैलाने में कामयाब हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि हमलावर आतंकी भाग निकलने में भी सफल रहते हैं। ऐसे में आतंकियों से निपटने की रणनीति पर सवाल उठने लाजिमी हैं। ऐसा लगता है कि घाटी में आतंकियों से निपटने और उन्हें खोज निकालने की सेना, सुरक्षा बलों की रणनीति में कहीं न कहीं खामियां हैं। बढ़ते आतंकी हमले क्या आतंकवाद से निपटने के सरकारी दावों की पोल नहीं खोलते?

दूसरी चिंताजनक बात घाटी में ट्रक ड्राइवरों पर होने वाले हमले हैं। सोमवार को दक्षिण कश्मीर के बिजबेहड़ा में फिर एक ट्रक ड्राइवर को आतंकवादियों ने मार डाला। इससे पहले चौदह अक्तूबर को भी शोपियां में एक ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के दो दिन बाद पंजाब के दो सेब व्यापारियों को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया और उनके ट्रक को आग के हवाले कर दिया था। जाहिर है, आतंकियों की रणनीति अब व्यापारियों को निशाना बनाने की है, ताकि व्यापारी कारोबार न कर पाएं। इस वक्त घाटी में ज्यादातर धंधे ठप पड़े हैं। कश्मीर में पिछले तीन महीने के दौरान दस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबारी नुकसान हो चुका है। ले-देकर कुछ उम्मीदें सेब व्यापारियों को बनी थीं और सरकार ने कारोबारियों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा भी दिया था। लेकिन अब हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। बागों में सेब सड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें उठाने और मंडियों तक पहुंचाने का पुख्ता इंतजाम नहीं है। अब तो दहशतगर्दों ने जिस तरह ट्रक ड्राइवरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, उससे व्यापारियों के लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि श्रीनगर के लाल चौक जैसे व्यस्ततम बाजार तक में कुछ ही दुकानें सुबह या शाम खुल रही हैं। अगर आतंकियों के खौफ से कारोबारी माहौल इसी तरह ठप पड़ता गया तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूती मिलेगी, यह गंभीर प्रश्न है।

पड़ोसी देश से आतंकियों की घुसपैठ को लेकर समय-समय पर चेतावनियां आ रही हैं। सेना और खुफिया विभाग ने खुद माना है कि पाकिस्तान बड़ी संख्या में आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की कोशिश में है। इसके लिए पाक अधिकृत कश्मीर और नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सेना का जमावड़ा बढ़ने की खबरें भी आई हैं। घाटी में आतंकियों की पहचान कर पाना आसान इसलिए भी नहीं है कि ग्रामीण इलाकों में उनकी गहरी पैठ है और वहां उनका व्यापक नेटवर्क है। इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए सेना और पुलिस ने कई बार बड़े अभियान भी चलाए, लेकिन आतंकियों का सफाया नहीं हो पाया। अगर यही हाल रहा और आतंकी हमले नहीं थमे तो घाटी में बाहर से निवेश आने का सपना धरा रह जाएगा।

त्रासद अंधविश्वास

बिहार के भागलपुर जिले से जिस तरह की घटना सामने आई है, वह हमारे देश में विकास की मौजूदा परिभाषा और विज्ञान की उपलब्धियों को कठघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। सवाल है कि विकास और विज्ञान का रास्ता अगर सही दिशा की ओर बढ़ रहा है तो इसके बीच यह त्रासदी क्यों बनी हुई है कि एक व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी होने के लिए किसी बच्चे की बलि दे दे! गौरतलब है कि भागलपुर के दिलौरी गांव में एक व्यक्ति ने दिवाली की रात अपने ही भतीजे की हत्या कर दी, क्योंकि तांत्रिक ने उसे सलाह दी थी कि अगर वह अपने किसी प्रिय बच्चे की बलि देगा तो उसे संतान की प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से यह घटना कानूनी कसौटी पर एक गंभीर अपराध है और इसके लिए आरोपियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यह घटना उदाहरण है कि आस्था के सिरे से आगे बढ़ी अपेक्षाएं कैसे विकृत अंधविश्वास में तब्दील हो जाती हैं और व्यक्ति को संवेदनहीन बनाने के साथ-साथ उसके सोचने-समझने की ताकत या विवेक को छीन लेती हैं। वरना यह कैसे संभव है कि अपनी इच्छा पूरी होने के लिए कोई व्यक्ति तांत्रिक की सलाह पर किसी बच्चे की निर्ममता से हत्या कर दे?

इस साल देश भर से अब तक कम से कम तीन ऐसी वाकये सामने आ चुके हैं, जिनमें तांत्रिकों के बहकावे में आकर किसी बच्चे की हत्या कर दी गई। आस्था की दुनिया में बलि को जिस तरह एक महिमामंडित कर्मकांड के रूप में देखा जाता है, उसमें व्यक्ति इसके औचित्य या सही-गलत होने के बारे में सोचने का विवेक तक खो देता है। अपनी इच्छापूर्ति के भ्रम में चूंकि वह खुद पर विश्वास और अपना विवेक खो चुका होता है, इसलिए उसकी समस्या का झूठा हल परोसने वाले तांत्रिक की बातों में उसका आ जाना एक स्वाभाविक परिणति है। इसके बाद वह तांत्रिक की सलाह से संचालित होता है और इस क्रम में किसी भी हद तक बर्बर हो जाने में उसे हिचक नहीं होती। हालत यह होती है कि उसके पास बलि के नाम पर किसी बच्चे की हत्या के अंजाम के बारे में सोचने तक का विवेक नहीं बचा होता है।

दरअसल, इस तरह त्रासदी सामाजिक विकास के मोर्चे पर सत्ता की व्यापक नाकामी का नतीजा है। आस्था और धार्मिक परंपराओं के नाम पर समाज में ऐसे चलन को भी छूट दी जाती है, जो खुले तौर पर अंधविश्वास का कारोबार होता है और जिसका हासिल कई बार बेहद त्रासद होता है। बच्चे की बलि ऐसे अंधविश्वासों का चरम है, लेकिन इसकी जमीन छोटे स्तर पर प्रचलित कर्मकांडों के जरिए ही बनती है जिसे आमतौर पर आस्था की शक्ल में पेश किया जाता है। अमूमन हर शहर और गांव में बाबाओं, ओझा और तांत्रिकों को अपनी वैसी गतिविधियां सरेआम चलाने पर शायद ही कहीं रोक है, जो लोगों को अंधविश्वास के जाल में फंसा कर कई बार तबाह कर डालती हैं। इसमें धन की ठगी और कथित मनोकामना पूरी करने के लिए तंत्र-मंत्र का कर्मकांड कराने से लेकर किसी की बलि देने तक की हालत पैदा करना शामिल है। कानून के तहत अंधविश्वास फैलाना अपराध है, लेकिन आस्था के पर्दे में सब कुछ चलने दिया जाता है। जबकि संविधान के अनुच्छेद 51-ए (एच) के तहत यह बुनियादी कर्तव्य तय किया गया है कि सभी नागरिक वैज्ञानिक सोच या चेतना का प्रचार-प्रसार करेगा। सवाल है कि अगर दूरदराज के किसी इलाके में तांत्रिक की सलाह पर बच्चे की बलि देने की घटना होती है तो इसके लिए क्या समूचे सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी नहीं बनती है?

कल्पमेधा

सक्रिय अज्ञान से भयानक
कुछ नहीं होता।
– गेटे

करतारपुर से रिश्तों की उम्मीद

संजीव पांडेय

अगर करतारपुर गलियारा दोनों मुल्कों के बीच संबंध ठीक करने में माध्यम बनता है, तो इसका सीधा लाभ पाकिस्तान के कई औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगा। पाकिस्तान का वाहन उद्योग गुड़गांव और मानेसर से जरूरी सामान का आयात कर सकता है। इसी तरह पाकिस्तान के दवा उद्योग को भारी लाभ मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी कई दवाइयां काफी महंगी है। दोनों मुल्कों में कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर गलियारे की शुरुआत अगले महीने हो जाएगी। इस धार्मिक गलियारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि यह धार्मिक गलियारा दोनों मुल्कों के बीच सत्तर सालों से चल रहे खराब संबंधों को ठीक करने में मदद करेगा, क्योंकि करतारपुर गलियारे का संबंध दुनिया को शांति का संदेश देने वाले गुरुनानक देव जी से है। यह धार्मिक गलियारा भविष्य में दोनों मुल्कों के बीच सीमा पर कई और गलियारे खोले जाने की भी राह दिखाएगा। इस धार्मिक गलियारे के बहाने भारत-पाकिस्तान सीमा पर कई और आर्थिक गलियारों को खोलने की कवायद शुरू होगी। यही उम्मीद दोनों तरफ शांति के लिए काम करने वाले तमाम लोग लगाए बैठे हैं। कुछ घटनाक्रम बताते हैं कि तमाम तनावों के बीच शांति की उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। जब दोनों मुल्कों के बीच जम्मू-कश्मीर को लेकर तनाव चरम पर था, उस समय भी पाकिस्तान ने करतारपुर गलियारे के विकास को लेकर कोई कोताही नहीं बरती। गलियारा खोले जाने को लेकर दोनों मुल्कों के बीच नियमित बैठकें होती रहीं।

अगर बात आज करतारपुर से शुरू हुई तो आगे तक जरूर जाएगी, यह विश्वास रखना चाहिए। पाकिस्तान करतारपुर गलियारे के माध्यम से अपने यहां धार्मिक पर्यटन के विकास के लिए अच्छा माहौल बनाना चाहता है। यह पाकिस्तान के विकास के लिए जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि लंबे समय से आंतकवाद से जूझ रहे पाकिस्तान की आर्थिक हालत काफी खराब है। आतंकवाद के कारण उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आतंकवाद का असर पाकिस्तान के कृषि और औद्योगिक क्षेत्र पर देखने को मिल रहा है। पिछले बीस सालों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को एक सौ पच्चीस अरब डालर का नुकसान सिर्फ आतंकवाद के कारण हुआ है। इससे पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार और सेना दोनों की परेशानी बढ़ी है। पाकिस्तानी सता तंत्र को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच धार्मिक पर्यटन बढ़ने से आर्थिक भाईचारा भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक तमाम द्विपक्षीय बार्ताओं से कुछ खास परिणाम नहीं निकला है।

सिखों के बड़े धार्मिक स्थल पाकिस्तान में हैं। ये धार्मिक स्थल लाहौर, ननकाना साहिब, हसन अब्दाल और करतारपुर में हैं। इन धार्मिक स्थलों का संबंध गुरुनानक देव और गुरु अर्जुनदेव से संबंधित है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान में सिखों की आबादी हजारों में सिमट गई। ज्यादातर सिख भारत में आ गए। वहीं धार्मिक स्थलों को लेकर पाकिस्तान की स्थिति दिलचस्प है। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, लेकिन इस्लाम से संबंधित पवित्र स्थल सऊदी अरब, इराक और ईरान में हैं। इन परिस्थितियों में पाकिस्तान अगर अपने मुल्क में अगर धार्मिक पर्यटन को विकसित करना चाहता है तो उसकी पहली प्राथमिकता पाकिस्तान में स्थित सिखों के धार्मिक स्थलों का विकास करना होगी। गौरतलब है कि भारत ने भी विदेशी सैलानियों के बीच धार्मिक पर्यटन लोकप्रिय करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित बौद्ध तीर्थ स्थलों को विकसित कर इसे बौद्ध सर्किट से जोड़ा है। भारत के बौद्ध सर्किट की तर्ज पर पाकिस्तान के पास सिखों से संबंधित धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़ कर सिख सर्किट विकसित करने का बढ़िया विकल्प है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और नेपाल मिल कर बौद्ध सर्किट विकसित कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुंबिनी (नेपाल) है। जबकि उनके ज्ञान प्राप्त करने का स्थान बोधगया (बिहार) में है। पहला उपदेश देने का स्थान उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। लगभग यही स्थिति गुरुनानक देव और सिखों के अन्य गुरुओं से संबंधित स्थलों को लेकर है। गुरुनानक देव की जन्मस्थली ननकाना साहिब इस समय पाकिस्तान में है। जिस करतारपुर में गुरुनानक देव ने अपने अंतिम दिन बिताए, वह भी पाकिस्तान में है। जबकि गुरुनानक देव से संबंधित कुछ धार्मिक स्थल भारत में भी स्थित हैं। यही नहीं, सिखों के दूसरे गुरुओं से संबंधित कुछ धार्मिक स्थल पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र में हैं, तो कुछ पाकिस्तान में हैं। अगर भारत और नेपाल के बौद्ध सर्किट के तर्ज पर भारत और पाकिस्तान मिलकर सिख सर्किट विकसित करते हैं तो भविष्य में भारत और पाकिस्तान के संबंधों में खासा सुधार आएगा।

हालांकि करतारपुर गलियारे को लेकर दोनों मुल्कों के बीच समझौता तो हो गया है, लेकिन फिर भी गलियारे को

लेकर कुछ तल्खी है। इस गलियारे से करतारपुर जाने वाले श्रद्धालुओं से पाकिस्तान बीस डॉलर प्रति श्रद्धालु (करीब डेढ़ हजार रुपए) शुल्क लेगा। भारत इस शुल्क के विरोध में है। भारत ने अंतिम समय तक पाकिस्तान से अनुरोध किया कि यह शुल्क न लिया जाए, क्योंकि इसका बोझ श्रद्धालुओं पर पड़ेगा। लेकिन इस मुद्दे पर पाकिस्तान टस से मस नहीं हुआ। उसका तर्क है कि पाकिस्तान करतारपुर के विकास पर एक हजार करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। वहां श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा दी जाएगी। इसके लिए प्रतिश्रद्धालु बीस डालर लिए जा रहे हैं। जबकि भारत का तर्क है कि करतारपुर के नाम पर वसूला जा रहा यह शुल्क पाकिस्तान के आर्थिक लाभ का एक हिस्सा है। भारत से अगर रोजाना पांच हजार श्रद्धालु भी इस गलियारे से करतारपुर जाएंगे तो पाकिस्तान को प्रतिदिन एक लाख डालर की आय होगी जो भारतीय मुद्रा में लगभग सतर लाख होगा। वहीं पाकिस्तान मुद्रा में यह रकम डेढ़ करोड़ रुपए के करीब बैठेगी। यानी पाकिस्तान हर महीने करीब सैंतालीस करोड़ रुपए कमाएगा। इसके अतिरिक्त भारत और दुनिया के दूसरे मुल्कों से आने वाले श्रद्धालु गुरुद्वारे में चढ़ावा भी देंगे। कहने को पाकिस्तान के गुरुद्वारों का प्रबंधन पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी देखती है, लेकिन यह भारत की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की तरह चुनी हुई संस्था नहीं है। इसका गठन पाकिस्तान सरकार ने किया है और यह इवैक्यू ट्रस्ट प्रापर्टी बोर्ड के अधीन है। इस कारण अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों की संपत्तियों और आय पर एक तरह से इस बोर्ड का ही नियंत्रण है।

भारत पाकिस्तान के बीच आर्थिक संबंध बीते दो सालों से काफी खराब हैं, जबकि दोनों मुल्कों के व्यापारी लगातार अच्छे संबंधों की वकालत करते रहे हैं। दिल्ली, अमृतसर और लाहौर के व्यापारियों को इस गलियारे से काफी उम्मीदें हैं। दूसरी तरफ लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पंजाब सीमा के रास्ते भारत से व्यापार को तेज करने की मांग कर रहा है। भारतीय पंजाब के नेता भी लगातार पंजाब के रास्ते आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभी दोनों मुल्कों के बीच सिर्फ अटारी के रास्ते व्यापारिक आवागमन है। 2014 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर फिरोजपुर जिला स्थित हुसैनीवाला और फाजिल्का जिला स्थित सुलेमानकी बार्डर से व्यापार शुरू करने की मांग की थी। लेकिन ये रास्ते अभी नहीं खुले हैं।

अगर करतारपुर गलियारा दोनों मुल्कों के बीच संबंध ठीक करने में माध्यम बनता है, तो इसका सीधा लाभ पाकिस्तान के कई औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगा। पाकिस्तान का वाहन उद्योग गुड़गांव और मानेसर से जरूरी सामान का आयात कर सकता है। इसी तरह पाकिस्तान के दवा उद्योग को भारी लाभ मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी कई दवाइयां काफी महंगी है। दोनों मुल्कों में कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। भारतीय पंजाब के आलू और कपास उत्पादकों को लाभ मिलेगा। भारतीय कपास का बड़ा खरीदार पाकिस्तानी पंजाब का कपड़ा उद्योग है। भारत से पाकिस्तान को होने वाले कुल निर्यात में कपास की बड़ी हिस्सेदारी है। अगर आज दोनों मुल्कों के बीच संबंध ठीक होते हैं तो इसका लाभ मध्य एशिया, अफगानिस्तान, पूर्वी एशिया और बांग्लादेश तक को होगा। भारत को मध्य एशिया के बाजारों तक पहुंचने में आसानी होगी।

सात बजे की खबर

वर्तिका नंदा

दुनिया मेरे आगे

एक समय था जब खबरों की दुनिया शाम सात बजे के आसपास घूमती थी। यह वह समय था, जब दूरदर्शन अपने 'बचपन' यानी शुरुआती दिनों से गुजर रहा था और दूर-दूर तक किसी निजी चैनल का नामोनिशान तक नहीं था। तब देश के दूरदराज के इलाकों में बैठे लोग अपने-अपने राज्य के शाम सात बजे के क्षेत्रीय समाचार बहुत ही चाव से देखा-सुना करते थे। मुझे याद है कि उन दिनों पंजाब में आंतकवाद अपने चरम पर था और पंजाब में रहने वालों के लिए शाम सात बजे के वे क्षेत्रीय समाचार पंजाब की तस्वीर दिखाया करते थे।

ये वे दिन थे जब अंधेरा होते-होते पंजाब की सड़कों पर कर्फ्यू की तरह सन्नाटा पसर जाता था और उस सन्नाटे में भी लोग इंतजार करते थे- शाम सात बजे की खबरों का। तब जालंधर दूरदर्शन में दो-तीन समाचार वाचक ही होते थे। उन समाचार वाचकों को अब 'एंकर' कहा जाता है। उस दौर के लगभग सभी एंकर सादगी लिए, संजीदगी के साथ खबर पढ़ते। समाचार वाचकों के बीच खबरों की प्रस्तुति को लेकर कोई आक्रामकता के बजाय एक खास तरह की गंभीरता दिखती थी। पुरुष और महिला समाचार वाचकों के परिधान भी तब समूची प्रस्तुति की गरिमा को बनाए रखने में सहायक-तत्त्व की तरह थे। आज के निजी चैनलों पर एंकरों की तरह उछल-कूद के साथ खबर पढ़ने की परंपरा तब सोची तक नहीं गई थी। तब टेलीविजन को तकरीबन अंतिम सच माना जाता था। आमतौर पर लोगों को खबर पर शक नहीं होता था। खबर की परख को लेकर मानस में सवाल नहीं उठते थे। इसके पीछे धारणा यही रही होगी कि तब खबर बिकती नहीं थी। वह सिर्फ एक खबर होती थी। और इस तरह की खबरें सम्मान और भरोसा पाती थीं।

इतने सालों के बाद यह भी अहसास होता है कि पंजाब के उस माहौल में भी शाम सात बजे की खबरें आशावाद बनाए रखने की कोशिश करती थीं। एक खास बात यह थी कि तब इन खबरों में कभी-कभार अगर कभी कुछ गलतियां हो जाती थीं, तब ऐसा होने पर दूरदर्शन की ओर से बाकायदा माफी भी मांग ली जाती थी। लेकिन इस कसौटी पर आज के टीवी चैनलों पर खबरों के प्रसारण, उसमें प्रस्तुतियों की आक्रामकता और तथ्यों के गलत तरीके से रखे जाने पर इस तरह खेद जताए जाने या माफी मांगने के कितने उदाहरण मिलते हैं? कई बार खबर की प्रस्तुति से ठीक पहले अगर कोई तकनीकी या प्रसारण संबंधी गड़बड़ी हो जाती थी, तब भी दूरदर्शन एक चूहे की तस्वीर के जरिए- 'रुकावट के लिए खेद है' की सूचना चिपका देता। उस तस्वीर में खुश दिखता चूहा तार को खाते हुए तकनीकी परेशानी को दिखाता था। दूरदर्शन का जनता से यह सादा संवाद काफी भला लगता। आज खबरों में 'रुकावट' तो शायद नहीं पैदा होती, लेकिन उस दौर की वह तस्वीर और 'खेद' जाहिर करने की याद प्रस्तुति की दुनिया के खूबसूरत पल की तरह आती है। बल्कि दर्शकों का खयाल रखने के लिहाज से एक सौम्य छवि की स्मृति आज ज्यादा याद आती है।

तब खबरों के प्रसारण में 'मसाला' नहीं होता था और न ही आतंकवाद को भुना-पका कर पेश करने की फितरत दिखती थी। इसलिए अक्सर लगता है कि अगर तब शाम सात बजे की समाचारों की जगह आज जितने निजी समाचार चैनल होते और आज की तरह की तरह ही खबरों की प्रस्तुतियां होतीं तो शायद पंजाब अब तक सुलग ही रहा होता और न जाने 'ब्रेकिंग न्यूज' और 'एक्सक्लूसिव' के फेर में कितनी खबरें तोड़-मरोड़ कर पेश की जातीं।

यह वह समय था जब सात बजे की खबर जिंदगी का एक अहम हिस्सा होती थीं। उस दौर में बात भी होती थी तो इस अंदाज में कि यह बात 'न्यूज' से पहले की है या बाद की। तब खबर की एक विश्वसनीयता थी, इसलिए प्रतिष्ठा थी। समाचार चैनलों की इतनी बड़ी भीड़ आज भी 'सात बजे की खबर' की उस साख से होड़ नहीं कर पाई है। तब दूरदर्शन के पास कई ऐसे अच्छी साख वाले कर्मी थे, जिन्होंने दूरदर्शन की गरिमा को बनाए और बचाए रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाई थी। उसके बाद के कई सालों तक अनेक कलाकार जालंधर दूरदर्शन की बदौलत ही सामने आए और बड़े सितारे बन कर उभरे। आज खबरें जिस तरह खबर न होकर होड़ बन गई हैं, उसमें दूरदर्शन के उस चेहरे की बस याद ही बाकी रही। वैसे खबरनवीस भी अब कहां दिखते हैं! चौबीसों घंटों की खबरों की भीड़ ने खबरों को सुनने के इंतजार को अतीत बना दिया है। एक नियत समय पर सीमित मात्रा में मिलने वाली खबरें कई बार बेहतर लगती थीं। इस दौर में शायद वैसा कभी हो न सके, लेकिन एक आदत के तौर पर किसी दिन सिर्फ एक बार खबर की खुराक को पाने का इंतजार शायद अच्छा भी लगे।

आबादी पर लगाम

पिछले कुछ दशकों में भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है और इस मामले में भारत अब चीन को पीछे छोड़ पहले पायदान पर पहुंचने वाला है। यह भारत के लिए चिंता का विषय है। हाल ही में असम सरकार ने इससे जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है जो संविधान विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। असम सरकार ने एक जनवरी 2021 के बाद उन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला लिया है जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे। असम विधानसभा ने दो साल पहले ही जनसंख्या नीति पारित की थी, जिसमें महिला सशक्तिकरण से लेकर बच्चियों की शिक्षा सहित कई अन्य प्रावधान शामिल थे। जनसंख्या नियंत्रण का प्रावधान भी इन्हीं में एक था। शुरुआत में इस कानून को असम के पंचायत और नगरपालिका चुनाव के लिए लागू किया गया था। इस प्रकार की व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और फिर हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी लागू की गई थी, जिसमें पंचायत या नगरपालिका का चुनाव सिर्फ वही लड़ सकते थे जिनके दो बच्चे से ज्यादा नहीं थे। लेकिन अब असम राज्य सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में भी इस कानून को लागू कर दिया है। साथ ही यह भी तय किया गया कि मौजूदा सरकारी कर्मचारियों को भी दो बच्चों के मानक का पालन करना होगा, वरना नौकरी से फनकी छुट्टी हो सकती है। असम राज्य सरकार का तर्क है कि कानून लागू कराने वाले और सरकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने वाले पहले स्वयं में एक रोल मॉडल बने, जिससे वे अन्य के लिए एक उदाहरण पेश कर सकें।

हालांकि दुनिया के कई देशों ने दो बच्चों की नीति को लागू किया, लेकिन किसी को भी जनसंख्या नियंत्रण करने में सफलता नहीं मिली। भारत एक पुरुष प्रधान देश है जहां लड़के की चाह में बेटियों को जन्म से पहले ही कोख में मार दिया जाता है। ऐसे में यदि इस तरह के कानूनों को जबरन लागू कराया गया, तो सभी पहले बच्चे के रूप में लड़के की ही इच्छा रखेंगे। ऐसे में आशंका है कि असुरक्षित गर्भपात को बढ़ावा मिलेगा और 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' जैसी योजनाओं को चोट पहुंचेगी। भारत में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच अच्छी नहीं है। ऐसे में बार-बार गर्भपात की स्थिति में मातृत्व मृत्यु दर भी बढ़ेगी। इसलिए भारत में इस तरह के कानूनों की आवश्यकता फिर हाल वर्तमान में महसूस नहीं होती है। आबादी नियंत्रित करने के लिए पिछड़े राज्यों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए खासतौर से ग्रामीण इलाकों में परिवार नियोजन और जन-जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना होगा। समग्रता से इस मुद्दे को देखे तो जबरन लोगों पर इस तरह के कानूनों का थोपा जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित प्रतीत नहीं होता। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर असम राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को रोल मॉडल बनाने के प्रयासों की आलोचना भी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यह नियम मात्र राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी कमर्चारियों के लिए है, आम जनता को इससे मुक्त रखा गया है।

● *कुलिंदर सिंह यादव, दिल्ली*

दिल्ली का संकट

देश की राजधानी दिल्ली की ओर लोग लोग इसीलिए भागते हैं कि वहां बेहतर जनजीवन और अन्य सुविधाएं मिलने की उम्मीदें काफी होती हैं। लेकिन जिस तरह दीपावली पर दिल्ली की आबोहवा जिस खराब स्तर पर पहुंच गई, वह देशवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी के रूप में नजर आ रही है। यह स्थिति तब है जब सर्वोच्च न्यायालय पटाखे फोड़ने के लिए समय निर्धारित कर दिया था। सोचने वाली बात है कि हमारा वास्तविक समाज किस अंधविश्वास का पालन कर रहा है जिससे स्वास्थ जीवन चर्या को खुद चुनौती दे रहा है। ऐसे में यहां की सामाजिक भावना अन्य शहर वासियों और ग्राम वासियों के लिए कदापि आदर्श नहीं बन सकती। होना तो यह चाहिए कि दिल्ली का मतलब हर चीज का आदर्श होता, लेकिन घुट-घुट कर जीवन जीना ही आज दिल्लीवासियों की नियति होती जा रही है, तो यह पूरे देशवासियों के लिए बदकिस्मती समान है।

● *मिथिलेश कुमार, भागलपुर*

भविष्य की ऊर्जा

इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में वायु प्रदूषण हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा। इस दीपावली पर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महज आठ से दस बजे तक पटाखे छोड़ने की समय सीमा तय की थी। फिर भी दीवाली के दिन प्रदूषण सभी खतरनाक पैमानों को पार कर गया। सरकार और अदालत की तरफ से इतनी जद्दोजहत सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि हवा को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। इसके लिए हवा को प्रदूषित करने वाली चीजों पर निगरानी की जा रही है। आने वाले समय में पर्यावरण को बचाने के लिए सूरज हमारे लिए बेहद मददगार सिद्ध हो सकता है। आज वैश्विक स्तर पर बिजली उत्पादन का स्रोत हमारे लिए कोयले से चलने वाले ताप बिजली घर हैं। इसके बाद पहाड़ों को खोखला करके बनाए जाने वाले बांध है। बांध के आसपास कई किलोमीटर तक जमीन खेती के लायक नहीं रह जाती। इसका एक समाधान हमारा सूरज भी हो सकता है। यदि हम सूरज से मिलने वाली रोशनी को बिजली बनाने के काम में लें, तो सूरज न सिर्फ आने वाले समय में हमारे लिए सबसे उपयुक्त सौर उर्जा का स्रोत साबित हो सकता है, बल्कि इससे हमारे पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान भी नहीं पहुंचने वाला।

सोलर पैनलों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक बार इन्हें लगाने के बाद कई सालों तक सुरक्षित चलाया जा सकता है, वह भी बिना किसी तरह की मरम्मत के। पर्यावरण वैज्ञानिकों की मानें तो अपने देश में लद्दाख के इलाके में सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी आती है। इसलिए वहां अन्य भागों की बजाय दस फीसदी ज्यादा बिजली बनाई जा सकती है। देश में कई इलाकें हैं जहां वर्ष भर हवाओं की गति तेज रहती है। उन इलाकों में विंड टर्बाइन लगा कर हवा से बिजली बनाई जा सकती है। तमाम राज्य सरकारें यदि अपने स्तर पर आगे आएं तो न सिर्फ ताप बिजली घरों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार भी उपलब्ध होगा। साथ ही प्रदूषण से भी मुक्ति मिल सकेगी।

● *रोहित यादव, महर्षि दयानंद विवि, रोहतक*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com